

(4)

(B)

(82)

लिखित परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम निम्नलिखित रूप में होगी :-

पत्र-1 इकाई-I- फार्मास्युटिक्स

1. टैबलेट एवं टैबलेट कॉटिंग
2. कैप्सूल्स
3. इमलशन, सरपेन्शन, ऑइंटमेंट और कीम
4. ऑथोलिमिक सोल्यूशन
5. ब्लड फ्ल्यूड एवं इलेवट्रोलाइट्स
6. पैरेन्टेरल प्रिपेरेशन एवं क्वालिटी कंट्रोल
7. सर्जिकल ड्रेसिंग
8. बॉयोलोजिकल प्रिपेरेशन (सेरा, वैक्सिन एवं एंटी-सेरा)
9. बॉयो फार्मास्युटिक्स

पत्र-1 इकाई-II - फार्मास्युटिकल विश्लेषण

1. लिमिट टेस्ट
2. बॉयो-ऐस
3. स्टेरिलिटी टेस्ट
4. पॉयरोजन टेस्ट
5. थोरी एवं एप्लिकेशन ऑफ कॉलरिगेट्री, फलोरीमीटर, नेफ्लोमीटर एवं टरबिडोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर
6. कार्ल फिशर टाइट्रेशन
7. अत्याग्रहल डिटर्मिनेशन
8. माईक्रोबॉयोलोजिकल ऐसे ऑफ ग्रिटानिन्ट, एण्टी बॉयोटिक्स एवं वैक्सिन प्रिपेरेशन

पत्र-2 इकाई-I- मैडिसीनल लेमिरट्री

डेफिनिशन, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, स्टोरेज, प्रिपेरेशन एण्ड ब्राण्ड नेम्स ऑफ द फॉलोविंग क्लासेस ऑफ ड्रग्स

1. स्टीरीऑग्लूस
2. सेलेटिक्स एवं हिपनोटिक्स
3. साईको-थेराप्यूटिक एजेंट्स
4. एण्टी-हिस्टामिनेक एजेंट्स
5. एनालजेपिक्स (नारकोटिक, नॉन-नारकोटिक एवं एनसेड्स)
6. कार्डियोवस्कूलर एजेंट्स

पत्र-2 इकाई-II- फार्माकॉग्नोसी

रोस, कोमिकल लन्सटिच्यूएन्ट्स, यूजेज एण्ड एडलट्रेन्ट्स ऑफ द फॉलोविंग क्लासेस ऑफ नेचुरल ड्रग्स

1. रात्तलफिया
2. इपी-कूकूहना
3. बेलाडोना
4. सिनकोना
5. सिनामेन
6. डिजिटेलिस

1146(15)
का। १। ५

- (X) 80/ (3)
7. सेना
 8. एलो
 9. नक्सायोगिका
 10. ऑपियम
 11. कूर्ची
 12. ब्राह्मी
 13. तुलसी
 14. बेल
 15. एफेड्रा

पत्र-3 इकाई-I— एनोटॉमी, फिजियोलॉजी एवं हेत्युकेशन

एनोटॉमी एवं फिजियोलॉजी — निम्नांकित सिस्टम के बारे में प्रारम्भिक जानकारी :

1. डाईजेस्टिव सिस्टम
2. सर्कूलेटरी सिस्टम
3. रेसिपरेटरी सिस्टम
4. यूरेनेरी सिस्टम
5. नर्वस सिस्टम
6. रिप्रोडक्टिव सिस्टम
7. सेन्स ऑरगेन्स

हेत्युकेशन

1. न्यूट्रिशन
2. फस्ट ऐल
3. पोपुलेशन कंट्रोल
4. एड्स कंट्रोल

पत्र-3 इकाई-II— फार्माकॉलॉजी एवं टॉक्सिकॉलॉजी

इंट्रोडक्शन एवं जेनेरल प्रिन्सिपल —

1. मोड ऑफ एक्शन
2. ड्रग रिसेप्टर
3. ड्रग इंटेरेक्शन एवं ड्रग एण्टागोनिज्म
4. एब्जॉर्पशन, डिस्ट्रिब्यूशन, मेटाबोलिज्म एवं एक्सकिशन ऑफ ड्रग्स
5. रुट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन
6. बोयोएक्युलिटि
7. ड्रग डिपेनडेंस एवं एडिक्शन
8. ड्रग एव्यूल एवं टॉक्सिसिटी
9. एडवर्स ड्रग रिएक्शन एवं ड्रग एलर्जी
10. बॉथोस्टेटिक्स

1146(15)
8/1/2014

2

पत्र- 4 इकाई-1- फार्मास्यूटिकल जुरिसप्रूडेंस एवं हॉस्पिटल फार्मसी

फार्मास्यूटिकल जुरिसप्रूडेंस

१. औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं तत्सन्नहित नियमावली, 1945 सभी संशोधनों सहित
 २. फार्मेसी एकट, 1948
 ३. ड्रग्स (प्राइस कंट्रोल) आदेश, 2013
 ४. ड्रग्स एण्ड मैजिक रेमेडीज (ऑब्जेक्शनेबल एडवरटीजमेंट) एकट, 1954 एवं रूल्स 1955
 ५. एन डी पी एस एकट एवं रूल्स
 ६. मेडिसिनल एवं टॉयलेट प्रिपेरेशन (एक्साईज ड्यूटीज) एकट, 1955 एवं रूल्स
 ७. ट्रेडमार्क एकट
 ८. फार्मास्यूटिकल एथिक्स

हॉस्पीटल फार्मसी

1. हैंडलिंग ऑफ प्रिसकिप्शन
 2. इनकॉम्प्टेबिलिटी
 3. स्टोरेज कंडिशन्स ऑफ ड्रग्स
 3. किलनिकल फार्मसी एवं इट्स रोल इन हार्मोनीटल्स

पत्र- 4 डिकाई-II- माईक्रोबॉयलॉजी

1. अनासोलिकोरेन ॲप्प माईकोब्स एवं टेक्सॉनॉमी
 2. आईडॉग्निकेशन ॲफ माईकोब्स, स्टेन्स एवं टाईप ॲफ स्टेनिंग टेक्निक्स
 3. कट्टोल ॲफ माईकोब्स बाय फिजिकल एण्ड कैमिकल मेथड डिसइन्फेक्शन, फैक्टर्स इन्फ्लूएशिंग डिसइन्फेक्टेन्ट्स, डॉयनेमिक्स ॲफ डिसइन्फेक्शन, डिसइन्फेक्टेन्ट्स एण्ड एन्टीसेटिव्स एण्ड देअर इवेल्प्रूशन
 4. स्टेरिलाइजेशन, डिफरेंट मेथड्स, वेलिडेशन ॲफ स्टेरिलाइजेशन मेथड्स एण्ड एक्यूमेंट्स
 5. स्टेरिलिटि टेरिट्रिंग ॲफ ॲल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स
 6. इम्पुनिटि, प्राईमेरी एण्ड सेकेन्डरी, डिफेंसिव मैक्रोनिज्म ॲफ वॉडी माईकोबियल रेरिरट्ट्स
 7. मेथड्स ॲफ प्रिपरेशन ॲफ ॲफिशियल गोरा एण्ड वैक्सिन्स
 8. माईकोबॉयलोजिकल मेथड्स फोर स्टेण्डर्डाइजेशन ॲफ एन्टीबॉयलोटिक्स, विटामिन्स एवं एमिनो एसिड्स, इम्यूनोएसे, एसेसमेंट ॲफ ए न्यू एन्टीबॉयलोटिक एण्ड टेरिट्रिंग ॲफ एन्टीमाईकोबियल एक्टिविटी ॲफ न्यू सम्पार्टेन्स

बिहार राज्यपाल के आदेश से.

सरकार के संयुक्त सचिव

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक - 15 / औं 10-14-14 / 13 1146(15) / स्वा०, पटना, दिनांक - 8/10/14
 प्रतिलिपि : अधीक्षक, सचिवालय मुद्रपालय, गुलजारबाग, पटना - 7 को सूचनार्थ एवं राजपत्र के अगले अंक में
 प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि प्रकाशित नियमावली की 200 प्रतियाँ स्वास्थ्य विभाग, बिहार को उपलब्ध
 कराने की कृपा की जाय।

सरकार के संयुक्त सचिव
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक - 15 / औ०-१४-१४ / १३ ११५८ (१५) स्वा० पटना, दिनांक - ४/१०/१५

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव / मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव / सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव / संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी क्षेत्रीय उप निदेशक स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार / सभी असैनिक एवं शल्य चिकित्सक -सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी / सभी अधीक्षक चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : विशेष सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : वित्त विभाग, बिहार, पटना / वित्त (वै० दा० नि० को०) विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : राज्य औषधि नियंत्रण प्रशासन के सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सचिव विहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को वेवसाइट पर प्रज्ञापित करने हेतु प्रेषित।

सरकार के ~~अध्यक्ष सचिव~~
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना
अधिकारी